



प्रेस नोट

दिनांक 08.12.2025

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.12.2025 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा बसवारी –मौदहा मार्ग बहद ग्राम बसवारी जनपद हमीरपुर से अभियुक्त को एक प्लास्टिक की बोरी में नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 282/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर बनाम अभियुक्त प्रियांशु उर्फ गोलू महाराज पुत्र मोहन प्रकाश पचौरी के विरुद्ध पंजीकृत कर मा0 न्यायालय हमीरपुर भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण

प्रियांशु उर्फ गोलू महाराज पुत्र मोहन प्रकाश पचौरी (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-07/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।
2. मु0अ0सं0-78/21 धारा 147, 148, 149, 270, 323, 341, 504, 506 आईपीसी ।
3. मु0अ0सं0-34/2025 धारा 351(3), 352 आईपीसी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ।
4. मु0अ0सं0-12/2024 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना डकोर जनपद जालौन ।
5. मु0अ0सं0-282/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

5.280 कि0ग्रा0 अवैध सूखा गांजा बरामद होना ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 राजीव कुमार साहू
2. उ0नि0 दिनेश प्रसाद,
3. हे0का0 कमलेश यादव,
4. का0 आकाश कुमार,
5. का0 नरेन्द्र सिंह

